UPMP010007562026

Presented on : 19-02-2026
Registered on : 19-02-2026
Decided on : 25-06-2026
Duration : 0 years, 4 months, 6 days

IN THE COURT OF
District & Session Judge
AT Mainpuri,Mainpuri
(Presided Over by Rupesh Ranjan)
Reg no 65/2026

स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र संख्या 27/2026

शीला देवी पत्नी सत्यभान सिंह निवासी ग्राम बरिहा थाना किशनी जिला मैनपुरी।

.....आवेदिका

बनाम

पुष्पेन्द्र आदि। ..... विपक्षी।

25-06-2026

1- पत्रावली वास्ते आदेशार्थ आज मेरे समक्ष पेश हुई। आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता को स्थानान्तरण प्रार्थना–पत्र पर पूर्व में सुना जा चुका है।

2- स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र आवेदिका की ओर से इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि,'' आवेदिका उपरोक्त केस में वादिनी है। आवेदिका का उपरोक्त केस न्यायालय एफ.टी.सी. प्रथम मैनपुरी में लम्बित चल रहा है। आवेदिका के उपरोक्त केस की सम्पूर्ण गवाही हो चुकी है तथा वास्ते बहस हेतु लम्बित है। उपरोक्त केस के मुल्जिम पुष्पेन्द्र पुत्र राजबहादुर निवासी सैदपुर थाना किशनी जिला मैनपुरी ने आवेदिका को धमकी देकर कहा है कि उसे दोषमुक्त होने से कोई नहीं बचा सकता है। आवेदिका को इसी बात का शक दिमाग में बैठ गया है कि कहीं उपरोक्त केस के मुल्जिम ने कही कोई सैटिंग तो नहीं कर ली है। इस कारण आवेदिका को न्याय की आशा प्रतीत न होने के कारण स्थानान्तरण कराना चाहती है। उपरोक्त पत्रावली को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किया जाना न्याय की दृष्टि से आवश्यक है। उपरोक्त आधारों पर उक्त पत्रावली सत्र परीक्षण संख्या 206/2018 अपराध संख्या 192/2018 अन्तर्गत धारा 302 भा0दं0सं0 को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किए जाने का अनुरोध किया गया है।''

3- प्रार्थना पत्र के संदर्भ में सम्बन्धित न्यायालय से आख्या मंगायी गयी। पीठासीन अधिकारी/अपर जिला जज/एफ.टी.सी., कोर्ट संख्या- 1 मैनपुरी द्वारा स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र के संदर्भ में अपनी आख्या प्रेषित की गयी है जिसके अनुसार,'' उपरोक्त स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र में उल्लिखित सत्र परीक्षण संख्या- 206/2018 राज्य बनाम पुष्पेन्द्र आदि मय सम्बन्धित सत्र परीक्षण

संख्या- 207/2018 राज्य बनाम अभिषेक व सत्र परीक्षण संख्या- 208/2018 राज्य बनाम पुष्पेन्द्र इस न्यायालय में लम्बित है, जिनमें बहस हेतु 27.02.2026 तिथि नियत है। आवेदिका/वादिनी मुकदमा द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र असत्य एवं निराधार शक के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। उक्त पत्रावली को स्थानान्तरित किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।''

4- सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

5- पत्रावली के अवलोकन से यह दृष्टिगोचर होता है कि सत्र परीक्षण संख्या- 206/2018 राज्य बनाम पुष्पेन्द्र आदि अपर जिला जज/एफ.टी.सी कोर्ट नं.1 के न्यायालय में वास्ते बहस लम्बित है। प्रार्थिनी द्वारा यह कथन किया गया है कि,''विपक्षी ने उसे धमकी देकर कहा है कि मुझे दोषमुक्त होने से कोई नहीं बचा सकता है।'' मात्र इस आधार पर उपजे शक के विना पर यह स्थानान्तरण याचिका प्रस्तुत की गई है,जिसका कोई तर्कसंगत आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है। किसी भी पक्ष के मन में उपजे शक या बहम मात्र के आधार पर किसी वाद का स्थानान्तरण न्यायोचित नहीं है,जब तक कि शक या बहम किसी पुष्ट साक्ष्य से समर्थित न हो। प्रार्थिनी द्वारा ऐसा कोई भी तर्कसंगत कारण प्रस्तुत नहीं किया गया है,जिस आधार पर इस मुकदमे का स्थानान्तरण किया जाना न्यायोचित दृष्टिगोचर होता हो।

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर स्थानान्तरण प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थिनी/आवेदिका शीला देवी द्वारा योजित स्थानान्तरण प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है।

आदेश की एक प्रति सम्बन्धित न्यायालय को अविलम्ब प्रेषित की जाए।

रूपेश रंजन
जिला एवम सत्र न्यायाधीश
मैनपुरी।

RUPESH RANJAN

Digitally signed by RUPESH RANJAN
Location: Mainpuri
Date: 2026.06.25 13:20:55 +0530

Visit **ecourts.gov.in** for updates or download mobile app “**eCourts Services**” from Android or iOS